<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99</u>

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-26032021-226158 SG-DL-E-26032021-226158

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 100] दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 25, 2021/चैत्र 4, 1943 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 376 No. 100] DELHI, THURSDAY, MARCH 25, 2021/CHAITRA 4, 1943 [N. C. T. D. No. 376

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-IV) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 25 मार्च, 2021

संख्या 11/2019-राज्य कर (दर)

सं.फा.3(82)/वित्त(व्यय-IV)/2020-21/डीएस-IV/292.— दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 55 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, दिल्ली माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 95(क) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के प्रस्थान वाले क्षेत्रों में स्थापित उन खुदरा बिक्री की दुकानों को, जो कि बाहर जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को वस्तुओं की कर मुक्त आपूर्ति करती हैं, ऐसे व्यक्तियों के एक वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जो ऐसे वस्तुओं की आंतरिक आपूर्ति पर अपने द्वारा भुगतान किए गए राज्यकर के रिफंड के लिए हकदार होते हैं।

1830 DG/2021 (1)

स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए, अभिव्यक्ति "बाहर जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक" से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से है जो कि भारत के सामान्य निवासी नहीं है, जो भारत में वैध और अस्थायी रूप से न बसने के लिए छःमहीने से अनिधक अविध तक के लिए ठहरने के लिए भारत आते हैं।

2. यह अधिसूचना 01 जुलाई, 2019 से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

मनोज कुमार, उप-सचिव-IV(वित्त)

FINANCE (EXPENDITURE-IV) DEPARTMENT NOTIFICATION

Delhi, the 25th March, 2021

No. 11/2019– State Tax (Rate)

No. F.3(82)/Fin.(Exp-IV)/2020-21/DS-IV/292.— In exercise of the powers conferred by section 55 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby specifies retail outlets established in the departure area of an international airport, beyond the immigration counters, making tax free supply of goods to an outgoing international tourist, as class of persons who shall be entitled to claim refund of applicable state tax paid on inward supply of such goods, subject to the conditions specified in rule 95A of the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017.

Explanation: For the purposes of this notification, the expression "outgoing international tourist" shall mean a person not normally resident in India, who enters India for a stay of not more than six months for legitimate non-immigrant purposes.

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of July, 2019.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

MANOJ KUMAR, Dy. Secy. IV (Finance)